छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना" होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री (दो संतान तक) को यदि वे शाला/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् है तथा यदि उन्हे शिक्षा विभाग के सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ है, को सायकल सहायता प्रदाय किया जावेगा।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 यह योजना सफाई कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो के पुत्र–पुत्री (दो संतान तक) को प्रदाय किया जावेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(4) योजना का लाभ प्रदाय करने की प्रकिया–

संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृति उपरांत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अनुसार साईकिल के मूल्य का भुगतान आवेदक के खाते में जमा कराया जायेगा ।

(5) विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक** 11/3/15

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव,मान.मुख्यमंत्रीजी,(भारसाधक मंत्री)श्रम विभाग,मंत्रालय,रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.........(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग